

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA**  
**Civil Writ Jurisdiction Case No.4975 of 2023**

=====

M/s New Microsoate Computer Khirchowk Bhathabazar Purnea through its Proprietor Keshav Kumar, Male, aged about 33 years, Son of Suresh Bhagat, Resident of Gandhi Nagar Arvind Society, Gandhi Nagar, Purnea, Distirct-Purnea, Bihar-854301.

... .. Petitioner/s

Versus

1. The State of Bihar through the Commissioner of Commercial State Taxes, New Secretariat, Patna.
2. Joint Commissioner, State Taxes, Purnea Circle, Purnea, Bihar.
3. Additioanl Commissioner, State Taxes, Purnea Circle, Purnea, Bihar.
4. Assistant Commissioner, State Taxes, Purnea Circle, Purnea, Bihar.

... .. Respondent/s

=====

**Appearance :**

For the Petitioner/s : Mr. Archana Sinha @ Archana Shahi, Advocate  
For the Respondent/s : Mr. Vivek Prasad (GP-7)

=====

**CORAM: HONOURABLE THE CHIEF JUSTICE**  
**and**  
**HONOURABLE MR. JUSTICE PARTHA SARTHY**  
**ORAL ORDER**

**(Per: HONOURABLE THE CHIEF JUSTICE)**

4      17-07-2023                      The writ petition is filed against the appellate order dated 03.02.2023 (Annexure-3) which was rejected on the ground of delay. The appeal was filed against Annexure-2 order dated 12.02.2021.

2. The appellate order specifically noticed Section 107 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (“BGST Act” hereafter) which permits an appeal to be filed within three months and also apply for delay condonation with satisfactory reasons within a further period of one month. The Appellate



Authority also took into account the saving of limitation granted by the Hon'ble Supreme Court in **Suo Motu Writ Petition (C) No. 3 of 2020**, In Re: Cognizance For Extension of Limitation due to the pandemic situation, limitation was saved between 15.03.2020 till 28.02.2022. It was also directed that an appeal could be filed within ninety days from 01.03.2022. Hence, an appeal could have been filed on or before 29.05.2022, which provision was not availed by the petitioner herein. The Hon'ble Supreme Court also declared that if a longer period than 90 days is provided in a Statute, then that longer period will apply. In the BGST Act, u/s 107(4) there is a provision for condonation of delay, if the appeal is filed delayed, within one month of expiry of limitation. Even if that be deemed to be appealable then the appeal ought to have been filed by 28.06.2022. The appeal is said to have been filed only on 31.01.2023, after 216 days from the date on which even the limitation period as stipulated by the Hon'ble Supreme Court, expired.

3. In the above circumstances, we find no reason to invoke the extraordinary jurisdiction under Article 226, especially since it is not a measure to be employed where there are alternate remedies available and the assessee has not been



diligent in availing such alternate remedies within the stipulated time.

4. As such, the writ petition would stand dismissed.

**(K. Vinod Chandran, CJ)**

**( Partha Sarthy, J)**

sharun/-

U			
---	--	--	--



पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

दीवानी याचिका क्षेत्राधिकार मामला संख्या **4975/2023**

-----  
मेसर्स न्यू माइक्रोसोफ्ट कंप्यूटर खिरचौक भताबाजार पूर्णिया अपने मालिक केशव कुमार,  
पुरुष, उम्र - लगभग 33 वर्ष, पुत्र - सुरेश भगत, निवासी - गांधी नगर अरविंद सोसाइटी,  
गांधी नगर, पूर्णिया, जिला-पूर्णिया, बिहार-854301 के माध्यम से।

.....याचिकाकर्ता

बनाम्

1. बिहार राज्य वाणिज्यिक राज्य कर आयुक्त, नया सचिवालय, पटना के माध्यम से।
2. संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, पूर्णिया अंचल, पूर्णिया, बिहार।
3. अतिरिक्त आयुक्त, राज्य कर, पूर्णिया अंचल, पूर्णिया, बिहार।
4. सहायक आयुक्त, राज्य कर, पूर्णिया अंचल, पूर्णिया, बिहार।

..... उत्तरदाता

-----  
उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री अर्चना सिन्हा @अर्चना शाही,

अधिवक्ताप्रत्यर्थी/ओ के लिए - श्री विवेक प्रसाद (जीपी-7)

-----

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी

मौखिक आदेश

(द्वारा: माननीय मुख्य न्यायाधीश )

4 17-07-2023

रिट याचिका दिनांकित 03.02.2023 (अनुलग्नक-3) के अपीलीय आदेश के खिलाफ दायर की गई है जिसे देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया था। अपील अनुलग्नक-2 आदेश दिनांक 12.02.2021 के खिलाफ दायर की गई थी।

2. अपीलीय आदेश में विशेष रूप से बिहार वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (इसके बाद "बीजीएसटी अधिनियम") की धारा 107 पर ध्यान दिया गया है जो तीन महीने के भीतर अपील दायर करने की अनुमति देता है और एक महीने की आगे की अवधि के भीतर संतोषजनक कारणों के साथ देरी में माफी के लिए भी आवेदन करता है। अपीलीय प्राधिकरण ने स्वतः संज्ञान रिट याचिका (सी) संख्या 3/2020 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सीमा की बचत को भी ध्यान में रखा। तथा महामारी की स्थिति के कारण सिमा का विस्तार का पुनः संज्ञान लिया, सिमा को 15.03.2020 से 28.02.2022 तक सुरक्षित रखा। यह भी निर्देश दिया गया था कि 01.03.2022 से नब्बे दिनों के भीतर अपील दायर की जा सकती है। अतः, 29.05.2022 पर या उससे पहले एक अपील दायर की जा सकती थी, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा प्रावधान का लाभ नहीं उठाया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी घोषणा की कि यदि किसी कानून में 90 दिनों से अधिक की अवधि का प्रावधान किया गया है, तो वह लंबी अवधि लागू होगी। बी. जी. एस. टी. अधिनियम, यू/एस. 107 (4) में, यदि अपील दायर करने में देरी होती है, तो सीमा समाप्त

होने के एक महीने के भीतर देरी को माफ करने का प्रावधान है। भले ही उसे अपील योग्य माना जाए, फिर भी अपील 28.06.2022 द्वारा दायर की जानी चाहिए थी। कहा जाता है कि अपील केवल 31.01.2023 पर दायर की गई थी, उस तारीख से 216 दिनों के बाद जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सीमा अवधि भी समाप्त हो गई थी।

3. उपरोक्त परिस्थितियों में, हमें अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू करने का कोई कारण नहीं मिलता है, विशेष रूप से क्योंकि यह वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने पर नियोजित करने का उपाय नहीं है और निर्धारित समय के भीतर ऐसे वैकल्पिक उपचारों का लाभ उठाने में जागरूक नहीं है।

4. इस प्रकार, दीवानी याचिका खारिज हो जाएगी।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(पार्थ सारथी, न्यायमूर्ति)

शारुन/-

खण्डन (डिस्क्रेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।